न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 506 सन 2022

अनवान :–

1. जयचन्द पुत्र पन्नालाल जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. संन्तोष पत्नी पन्नालाल जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. श्योचन्द पुत्र पन्नालाल जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. शकुन्तला पुत्री पन्नालाल जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 30/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 149/41 की कुल 0.3795हैक एव रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 120/116 की कुल 2.0240हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 की माता है वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पति पन्नालाल के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने परिवारिक समझौता किया जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 ने रोही मौजा चक 19 एनटीआर के खाता संख्या 149/41 की कुल 0.3795हैक भूमि अपने पुत्र वादी के पक्ष में त्याग कर दिया जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी के नाम दर्ज नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है के नाम से दर्ज खाता संख्या 149/41 भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पति पन्नाराम ने दर्ज करवाई थी जो वर्तमान में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने परिवारिक समझौता किया जाकर वादी के भरण पोषण के लिये उसकी माता प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज खाता संख्या 149/41 की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया गया था जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसे वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 149/41 की कुल 0.3795हैक एव रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 120/116 की कुल 2.0240हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 की माता है वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पति पन्नालाल के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने परिवारिक समझौता किया जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 ने रोही मौजा चक 19 एनटीआर के खाता संख्या 149/41 की कुल 0.3795हैक भूमि अपने पुत्र वादी के पक्ष में त्याग कर दिया जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी के नाम दर्ज नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 149/41 की कुल 0.3795हैक एव रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 120/116 की कुल 2.0240हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उसकी माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के परिवारिक समझौता में वाद भूमि वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया की वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 149/41 की कुल 0.3795हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 120/116 की कुल 2.0240हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. जयचन्द पुत्र पन्नालाल जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 संन्तोष पत्नी पन्नालाल जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. श्योचन्द पुत्र पन्नालाल जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. शकुन्तला पुत्री पन्नालाल जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 506 सन 2022 निर्णय दिनांक– 30/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 149/41 की कुल 0.3795हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 120/116 की कुल 2.0240हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner